भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)

दिनांक नवंबर, 2007

परिषद के अध्यक्ष, निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथाः-

1. लागू होने की तारीख

(क) इन नियमों का नाम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्वास्थ्य अनुसंधान वैज्ञानिकों का संवर्ग नियम, 2007 है;

(ख) ये महानिदेशक द्वारा अधिसूचित नियत दिन से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षत न हो -

(क) 'मूल्यांकन मंडल' का अर्थ है महानिदेशक द्वारा नियम 7 के उपनियम (iv) के खंड (क) के तहत गठित मूल्यांकन मंडल;

(ख) किसी भी ग्रेड के संबंध में 'प्राधिकृत स्थायी संख्या' का अर्थ है उस संवर्ग में स्थायी अविनिर्दिष्ट पद जिन पर स्थायी नियुक्ति की जा सकती है;

(ग) 'संवर्ग' का अर्थ है वह विषय, जिसमें पदोन्नति के लिए वैज्ञानिकों का मूल्यांकन होता है;

(घ) 'महानिदेशक' का अर्थ है केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक;

(ड.) 'विधा' का अर्थ है वह विषय, जिसमें पदोन्नति के लिए वैज्ञानिकें का मूल्यांकन होता है;

(च) 'ड्यूटी पद' का अर्थ है अनुसूची-II में शामिल कोई पद, भले ही वह स्थायी हो या अस्थायी;

(छ) 'मू.नि.' का अर्थ है मूल नियम;

(ज) 'सरकार' का अर्थ है स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग;

(झ) 'आंतरिक स्क्रीनिंग समिति' का अर्थ है नियम 7 के उप-नियम (iv) के खंड (ग) के तहत महानिदेशक द्वारा गठित समिति;

(ञ) 'पीयर समिति' का अर्थ है नियम 7 के उप-नियम (vi) के खंड (घ) के तहत गठित समिति;

(ट) 'भर्ती मंडल' का अर्थ है नियम 7 के उप-नियम (vi) के खंड (क) के तहत महानिदेशक द्वारा गठित मंडल;

(ठ) 'अनुसूची' का अर्थ है इन नयमों की अनुसूची;

(ड) 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति' का वही अर्थ है जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड क्रमशः (24) और (25) में दिया गया है।

3. ग्रेड, प्राधिकृत संख्या और इसकी समीक्षा

(क) इस संवर्ग में शामिल पद, उनकी संख्या और वेतनमान, अनुसूची-II में दिए गए अनुसार होंगे।

(ख) नियत दिन के बाद विभिन्न ग्रेडों की प्राधिकृत स्थायी संख्या उतनी होगी जितनी समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ग) महानिदेशक, समय-समय पर आवश्यकता अनुसार विभिन्न ग्रेडों की संख्या को घटा-बढ़ा सकता है।

(घ) महानिदेशक सरकार के पूर्व अनुमोदन से अनुसूची-II में शामिल पदों से भिन्न किसी पद को संवर्ग में शामिल कर सकता है या इस अनुसूची में शामिल किसी पद को संवर्ग से हटा सकता है।

4. संवर्ग के सदस्य

(त्) निम्नलिखित वैज्ञानिक संवर्ग के सदस्य होंगे, यथाः-

- (क) जो वैज्ञानिक इन नियमों के लागू होने से पहले ही सेवा में है, उसे ऐसी नियुक्ति की तारीख से तदनुरुप ग्रेड में इस संवर्ग का सदस्य समझा जाएगा।
- (ख) जो नियम 7 के तहत नियत दिन से संवर्ग में नियुक्त हुए हैं, वे नियत दिन से।
- (ग) जो नियत दिन के पश्चात ड्यूटी पदों पर नियुक्त हुए हैं, वे ऐसी नियुक्ति की तारीख से।

(ii) जो नियम 5 या उपर्युक्त खंड (क), (ख) और (ग) के तहत नियुक्त हुए हैं, वे ऐसी नियुक्ति की तारीख से तदनुरुप ग्रेड में संवर्ग के सदस्य होंगे।

(iii) महानिदेशक द्वारा निर्धारित शर्तों पर कार्यपालक समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यदि वह आवश्यक समझे तो प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों या तकनीकीविदों और विशेषज्ञों को वर्तमान पीठ के अतिरिक्त सलाहकार या इमेरिटर वैज्ञानिक के रुप में नियुक्त कर सकता है। इसका निर्णय कार्यकारिणी समिति करेगी और निबंधन और शर्तें महानिदेशक तय करेंगे।

5. भर्ती का तरीका

संवर्ग में भर्ती निम्नलिखित तरीके में से किसी एक या अनेक तरीकों से की जाएगी और पद विशेष के कार्य विनिर्दश और योग्यता को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक प्रत्येक अवसर पर तरीके या तरीकों के संबंध में निर्णय लेंगे।

(क) पदोन्नित द्वारा;

(ख) सीधी भर्ती या परिसर भर्ती द्वारा;

(ग) केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों या राज्य सरकारों या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों के उपयुक्त अधिकारियों के आमेलन द्वारा।

(घ) केंद्रीय या राज्य विभागों या मान्यताप्राप्त केंद्र या राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों या राज्य सरकार या अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालय के उपयुक्त विशेषज्ञ या अधिकारी या वैज्ञानिकों या तकनीकीविदों को प्रतिनियुक्ति के द्वारा अथवा संविदा पर।

(ड.) ऐसे उपयुक्त अधिकारियों के आमेलन द्वारा, जिन्हें उपर्युक्त खंड (घ) में उल्लिखित तरीके से प्रतिनियुक्ति या संविदा पर नियुक्त किया गया हो।

6. संवर्ग का आरंभिक गठन

(क) इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से परिषद के वर्ग क के सभी वैज्ञानिक अधिकारी सं वर्ग में उन तदनुरुप पदों या ग्रेडों में नियुक्त माने जाएंगे, जिन्हें वे नियमित आधार पर धारित कर रहे थे।

(ख) यदि आरंभिक गठन के समय संवर्ग में विभिन्न ग्रेडों में प्राधिकृत स्थायी संख्या को भरा नहीं गया है तो इसे नियम 7 के अनुसार भरा जाएगा।

7. संवर्ग का भावी अनुरक्षण

(i) नियम 6 के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा संवर्ग का आरंभिक गठन होने के पश्चात रिक्त पदों को इसके पश्चात निम्नलिखित तरीके से भरा जाएगाः

(क) वैज्ञानिक बी ग्रेड में 75 प्रतिशत रिक्त पदों को सीधी भर्ती या परिसर भर्ती या प्रतिनियुक्ति या संविदा पर या जो प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति या संविदा पर नियुक्त हुए थे, उनके आमेलन द्वारा।

(ख) 25 प्रतिशत रिक्त पद सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। ऐसा न हो पाने पर सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति पर या संविदा या प्रतिनियुक्ति या संविदा पर नियुक्त उपयुक्त अधिकारियों के आमेलन द्वारा।

(ग) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के मामले में निम्नलिखित मापदंड अपनाए जाएंगे, यथाः

(घ) परिषद के तकनीकी अधिकारी 'ए' या तकनीकी अधिकारी 'बी' या अन्य कार्मिक जो 5000-8000 रुपये या उच्च वेतनमान में पांच वर्ष की नियमित सेवा इस ग्रेड में कर चुके हों और अनुसूची-III में वैज्ञानिक 'बी' पद की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हों, जिसके लिए अधिकतम आयु-सीमा नहीं होगी।

(ड.) इस विभागीय परीक्षा के लिए किसी भी उम्मीदवार को तीन से अधिक अवसर नहीं दिए जाएंगे।

(च) वैज्ञानिक बी से ऊपर के पद नियम 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी तरीके से भरे जाएंगे। प्रत्येक अवसर पर विशिष्ट अपेक्षा और कार्य की मात्रा के आधार पर भर्ती का तरीका महानिदेशक तय करेंगे। जिन पदों के लिए विशेष योग्यताओं की आवश्यकता है, उनमें राज्य का हित और परिषद के लक्ष्य सर्वोपरि होते हैं। पदधारी के लिए किए जाने वाला अपेक्षित कार्य और संवर्ग के अंदर और संवर्ग से बाहर दो जगह अपेक्षित योग्यताओं और अनुभव वाले उम्मीदवारों की उपलबधता को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक पद भरने का तरीका तय करेंगे।

(ii) (क) संवर्ग में वैज्ञानिक जी ग्रेड तक एक ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति फलेक्सिबल कम्पलीमेंटिंग योजना के तहत उन अधिकारियों में से की जाएगी, जो

अनुसूची-III में उल्लिखित शैक्षिक योग्यता रखते हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित का.ज्ञा. सं.2/41/97-पीआईसी दिनांक 9.11.98 में ऐसी पदोन्नतियों के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ख) वैज्ञानिक 'एच' ग्रेड पर पदोन्नति पद की उपलब्धता के अनुसार की जाएगी।

(ग) महानिदेशक एक आंतरिक संवीक्षा समिति गठित करेंगे, जैसा कि 1ए और 1बी में विनिर्दिष्ट है। यह समिति उस वर्ष के 31 अगस्त को, जिससे मूल्यांकन मंडल संबंधित है, वैज्ञानिकों के न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि पूरी करने पर कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की गोपनीय रिपोर्टों की समीक्षा करेगी, जैसाकि नीचे दर्शाया गया हैः-

ग्रेड	न्यूतम रेजीडेंसी अवधि
वैज्ञानिक 'बी'	तीन वर्ष
वैज्ञानिक 'सी'	चार वर्ष
वैज्ञानिक 'डी'	तीन वर्ष
वैज्ञानिक 'ई'	पांच वर्ष
वैज्ञानिक 'एफ'	पांच वर्ष
वैज्ञानिक 'जी'	पांच वर्ष
वैज्ञानिक 'एच'	तीन वर्ष

(घ) वैज्ञानिक 'एफ' से वैज्ञानिक 'जी' और वैज्ञानिक 'जी' से वैज्ञानिक 'एच' पद पदोन्नति वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की गोपनयी रिपोर्ट और पीयर समिति के मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी।

(ङ.) परंतु असाधारण सराहनीय उम्मीदवारों को, जो कि अपनी सभी रिपोर्टों में कम से कम 90 प्रतिशत अंक अर्जित कर रहे हों, रेजीडेंसी अवधि में किसी एक अवसर पर आंतरिक स्क्रीनिंग समित की संस्तुति पर एक वर्ष की छूट दी जाएगी।

(च) परंतु यह छूट किसी के पूरे सेवाकाल में अधिक से अधिक दो बार तक दी जाती है।

(iii) (क) आंतरिक संवीक्षा समिति परिषद के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के तुलनात्मक और मूल्यांकन मंडल के विचार के लिए वैज्ञानिकों की पात्रता तय करने के लिए अपने मापदंड तैयार करेगी और वैज्ञानिकों को औसत अंक देगी और निम्नलिखित मानदंड का अनुसरण करेगी, यथाः

(ख) आंतरिक संवीक्षा नियम 7 के उप-नियम (ii) के खंड (ग) में बताए न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि की वार्षिक गोपनीय मूल्यांकन रिपोर्टों पर आधारित होगी;

(ग) औसतन 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक 'बी', वैज्ञानिक 'सी' और वैज्ञानिक 'डी' तथा 70% से कम अंक वाले वैज्ञानिक 'ई' और वैज्ञानिक 'एफ' मूल्यांकन के पात्र होंगे।

(घ) सीधी भर्ती से आए वैज्ञानिकों या पदोन्नत वैज्ञानिकों के लिए, जिन्होंने 1 सितंबर के पश्चात कार्यभारग्रहण किया है, मूल्यांकन की पात्रता के लिए अर्हक सेवा में तीन माह की छूट दी जाएगी।

(ड.) वैयक्तिक कारणों से ली गई छुट्टी के सिवाय सभी प्रकार की छुट्टी को पदोन्नति की पात्रता के लिए अर्हक सेवा के रुप में हिसाब में लिया जाएगा।

(च) अन्य वैज्ञानिक विभागों, जहां फ्लेक्सिबल कम्पलीमेंटिंग योजना लागू होती है, से आरंभिक रुप में परिषद में प्रतिनियुक्ति पर लिए गए वैज्ञानिकों के स्थायी आमेलन के मामले में, मूल कार्यालय में समान ग्रेड में की गई पूरी नियमित सेवा को रेजीडेंसी अवधि के रुप में हिसाब में लिया जाएगा।

(छ) यदि किसी वैज्ञानिक को अपने मूल कार्यालय में नियमित आधार पर धारित पद से एक उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है और तत्पश्चात आईसीएमआर वैज्ञानिक संवर्ग में उसी ग्रेड में स्थायी रुप से आमेलन किया जाता है तो फलेक्सिबल कम्पलीमेंटिंग योजना के तहत वैज्ञानिक 'जी' स्तर तक अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए प्रतिनयुक्ति की अवधि को रेजीडेंसी अवधि के रुप में हिसाब में लिया जाएगा।

(ज) संविदा नियुक्ति के क्रम में संवर्ग में एक वैज्ञानिक की नियमित नियुक्ति पर मूल्यांकन/ पदोन्नति के लिए रेजीडेंसी अवधि हेतु संविदा सेवा की अवधि को हिसाब में लिया जाएगा, बशर्ते कि अधिकारी का प्रथम प्रयास में नियमित नियुक्ति के लिए चयन कर दिया जाए। लेकिन उसकी वरिष्ठता, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार तय की जाएगी।

(iv) (क) महानिदेशक वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'एफ' स्तर तक पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने के लिए अनुसूची 1ग में विनिर्दिष्ट तरीके से एक मूल्यांकन मंडल गठित करेंगे।

(ख) विभिन्न स्थानों पर किसी एक समय में एक से अधिक मूल्यांकन मंडल गठित हो सकते हैं।

(ग) महानिदेशक ऐसे वैज्ञानिक 'एफ' के मूल्यांकन के लिए अनुसूची-Iघ में बताए गए अनुसार एक पीयर समिति गठित करेंगे, जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की निर्धारित रेजीडेंसी अवधि पूरी कर ली हो और जिन्हें अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु आकलन के लिए अध्यक्ष के अनुमोदन सहित आंतरिक संवीक्षा समिति ने सिफारिश की हो।

(घ) उपर्युक्त खंड (ग) में उल्लिखित समिति ऐसे वैज्ञानिक 'जी' का आकलन भी करेगी, जिन्होंने इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और जिन्हें योग्यता, उपलब्धि, नेतृत्व और प्रबंधकीय गुण के आधार पर वैज्ञानिक 'एच' के पद पर पदोन्नति के लिए आंतरिक संवीक्षा समिति द्वारा सिफारिश की गई हो।

(v) (क) मूल्यांकन मंडल या पीयर समिति कम से कम वर्ष में एक बार या परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट अंतराल पर बैठक करेगी।

(ख) वैज्ञानिक 'एफ' स्तर के वैज्ञानिकों तक पदोन्नति के लिए मूल्यांकन मंडल अपनी संस्तुति 'पदोन्नति के योग्य' या 'पदोन्नति के अयोग्य' के रुप में प्रस्तुत करेगा। परंतु जब मूल्यांकन मंडल द्वारा मूल्यांकित उम्मीदवारों की समग्र योग्यता उसकी रेजीडेंसी अवधि के लिए अपेक्षित अर्हक अंकों के अनुरुप होगी, तभी उम्मीदवार के संबंध में 'पदोन्नति के लिए उपयुक्त' के रुप में सिफारिश की जाएगी।

(ग) पीयर समिति योग्यता, उपलब्धियों, नेतृत्व और प्रबंधकीय गुणों आदि के आधार पर ऐसे वैज्ञानिक 'एफ' और 'जी' के संबंध में क्रमशः वैज्ञानिक 'जी' और 'एच' ग्रेडों में पदोन्नति के लिए सिफारिश करेगी, जिन्हें आंतरिक स्क्रीनिंग समिति ने योग्य घोषित किया हो।

(घ) मूल्यांकन मंडल या आंतरित संवीक्षा समिति की सिफारिशें उस वर्ष की पहली सितंबर से लागू की जाएंगी, जिस वर्ष से संबंधित वह मूल्यांकन मंडल या आंतरिक संवीक्षा समिति है। परंतु इनमें ऐसे मामले शामिल नहीं होंगे, जिनमें पदोन्नति की प्रभावी तारीख के बारे में मूल्यांकन समिति या आंतरिक संवीक्षा समिति द्वारा विशेष सिफारिश की गई हो।

(ड.) जिन वैज्ञानिकों की पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई हो, उन सभी वैज्ञानिकों की संबंधित ग्रेड में वरिष्ठता निर्धारित करने के संबंध में क्रमशः खंड (ग) में उल्लिखित तारीख, चयन की तारीख मानी जाएगी, बशर्ते कि वे उस तारीख को ड्यूटी पर हों।

(च) परंतु जो वैज्ञानिक उस तारीख को छुट्टी पर हों, वे लौटने की तारीख से उस ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करेंगे, जिस ग्रेड में उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(छ) यदि कोई वैज्ञानिक कार्यभार ग्रहण न कर सके तो इससे एक ही मूल्याकन मंडल द्वारा जिन वैज्ञानिकों की पदोन्नति की सिफारिश की गई है, उनकी चयन की तारीख या उस उच्च ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता पर अन्य वैज्ञानिकों की तुलना में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ज) यदि किसी वैज्ञानिक का पदोन्नति के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उसे उपयुक्त पाया जाता है, लेकिन वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अध्ययन छुट्टी (जो अन्य छुट्टी के साथ ली गई हो) पर विदेश में रहने के कारण प्रभावी तारीख को उच्च ग्रेड का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो और यह छुट्टी उच्चतर अध्ययन के लिए हो या व्यावसायिक और तकनीकी विषयों में विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हो और आईसीएमआर के कार्यक्रमों से इसका सीधा और निकट का संबंध हो, तो कार्यभार ग्रहण करने पर उस ग्रेड में उसके चयन की तारीख से उच्च ग्रेड में उसकी काल्पनिक वरिष्ठता मानी जाएगी ताकि अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति पर विचार करने के लिए रेजिडेंसी अवधि को हिसाब में लिया जा सके और महानिदेशक अध्ययन या प्रशिक्षण के दौरान उस वैज्ञानिक के कार्य-निष्पादन के बारे में संतुष्ट हो।

(झ) विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वैज्ञानिकों (मूल नियम 51 के अधीन) को उस तारीख से अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया जाएगा, जिस तारीख को वे उस स्थिति में पदोन्नत किए जाते, यदि वे प्रशिक्षण पर नहीं गए होते, परंतु उन्हें निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, यथाः-

(i) ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को मूल नियम 9(6) के अधीन ड्यूटी माना गया हो।

(ii) मूल्यांकन बोर्ड या आंतरिक संवीक्षा समिति या पीयर समिति द्वारा अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।

(iii) सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिए गए हों, जिसमें वे वैज्ञानिक शामिल नहीं हैं, जिनके संबंध में उपलब्ध ग्रेड विशेष में पदोन्नति के लिए 'अभी उपयुक्त नहीं' के रुप में सिफारिश की गई हो।

(iv) फलेक्सिबल कंपलीमेंटिंग स्कीम के अधीन एक ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड में वैज्ञानिक की पदोन्नति होने पर उसके द्वारा धारित पद स्वतः उच्चीकृत समझा जाएगा और उसके लिए वैयक्तिक होगा।

(vi) (क) महाप्रबंधक, नियम 5 के खंड (ii) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए चयन बोर्ड गठित करेगा और अनुसूची 1ड. में दिए गए अनुसार साक्षात्कार या लिखित परीक्षा या दोनों द्वारा चयन करेगा और वे उम्मीदवार अनुसूची III के कॉलम 4 में दिए गए अनुसार, निर्धारित आयु-सीमा में होंगे।

(ख) इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट तरीके अधीन इस संवर्ग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव अनुसूची III के अनुसार होंगे, परंतु अनुसूची III के खंड (4) में विनिर्दिष्ट आयु-सीमा नियम 5 के खंड (क) और (ग) से (ड.) तक में विनिर्दिष्ट तरीके द्वारा चयन किए जाने पर लागू नहीं होगा।

(ग) परंतु यह भी कि विशेष विषय उस पद के लिए अपेक्षित योग्यता और अनुभव महानिदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(घ) परंतु प्रतिभा खोज योजना के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा चयन अनुसूची IV में दिए गए अनुसार किया जाएगा।

(ड.) नियम 5 के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट तरीके द्वारा प्रतिनयुक्ति पर नियुक्त अधिकारी 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि को घटाने का प्रस्ताव हो तो सक्षम प्राधिकारी उसके कारण लिखित रुप में दर्ज करेगा और संबंधित अधिकारी को अपने आशय की सूचना लिखित रुप में देगा। इस पद पर इस नियुक्ति से तत्काल पहले अन्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, जो उसी संगठन या विभाग में हो, सहित प्रतिनियुक्ति अधिकतम अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(च) नियम 5 के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट तरीके से संविदा पर नियुक्त अधिकारी शुरु में दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे और अधिक से अधिक 6 वर्ष तक की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे। संविदा की अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेक से बढ़ाई या घटाई जा सकती है। दो वर्ष के अंत में संविदा की इस अवधि का नवीकरण किया जा सकता है।

(छ) इस संवर्ग में नियुक्त अधिकारियों को ऐसे प्रशिक्षण पर जाना होगा और इस अवधि में भारत में या भारत से बाहर तैनात किया जाएगा, जैसाकि समय-समय पर महानिदेशक

द्वारा निर्णय लिया जाए ताकि संबंधित अधिकारी को आइसीएमआर से संबंधित कार्य करने में सक्षमता और दक्षता के लिए तैयार किया जा सके।

(vii) (क) यदि किसी अधिकारी को ऐसे प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाता है जिसकी अवधि 6 माह या उससे अधिक हो या यदि किसी अधिकारी को भारत से बाहर या भारत में प्राइवेट फर्म या कारखाने में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, भले ही उसकी अवधि कुछ भी हो, तो यदि वह प्रशिक्षण के दौरान या ऐसा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 5 वर्ष के अंदर आईसीएमआर की सेवा में नहीं रहना चाहता, भले ही कारण कोई भी हो, उसे प्रशिक्षण की पूरी लागत वापस करनी होगी।

(ख) नियम 5 के अधीन इस संवर्ग में नियुक्त अधिकारी की वरिष्ठता समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार भारत सरकार के आदेशों को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक द्वारा निर्धारित की जाएगी।

8. परिवीक्षा

(क) इस संवर्ग में वैज्ञानिक 'बी' ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, भले ही उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से या सीमति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से या अधिवर्षिता की आयु से पहले पुनर्नियोजन पर की गई हो।

(ख) इस संवर्ग के किसी अन्य ग्रेड में नियुक्त व्यक्तियों को, यथा वैज्ञानिक 'सी', वैज्ञानिक 'डी', वैज्ञानिक 'ई',वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक 'एच' को एक वर्ष के लिए परि वीक्षाधीन रखा जाएगा, भले ही उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से या अधिवर्षिता की आयु से पहले पुनर्नियोजन पर की गई हो।

(ग) परंतु सक्षम प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परि वीक्षा की अवधि बढ़ा या घटा सकता है। परंतु यह भी कि यदि परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव हो तो सक्षम प्राधिकारी परिवीक्षा की आरंभिक या बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीने के अंदर उस अधिकारी को अपने इस आशय की लिखित सूचना देगा।

(घ) परिवीक्षा की अवधि या उसकी बढ़ाई गई अवधि के पूरा होने पर यदि अधिकारी को उपयुक्त समझा जाएगा, तो उस पद पर स्थायी कर दिया जाएगा बशर्ते कि वह आरंभिक ग्रेड में पहले ही स्थायी न हो।

(ड.) यदि यथास्थिति उपर्युक्त उप-नियम (ख) में उल्लिखित परिवीक्षा की अवधि या उसकी बढ़ाई गई अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी की राय हो कि कोई उम्मीदवार स्थायी

नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है या ऐसी परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि कोई वह उम्मीदवार ऐसी परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होगा, तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे उम्मीदवार को बर्खास्त कर सकता है या यथास्थिति उसे उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह उचित समझे।

(च) परिवीक्षा की अवधि के दौरान उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रमों में या अभिमुखी कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और ऐसी परीक्षाओं तथा परीक्षणों को (जिनमें हिंदी की परीक्षा भी शामिल है) पास करना होगा, जो परिवीक्षा के संतोषजनक पूरा होने के लिए एक शर्त के रुप में निर्धारित की गइ हो।

9. संवर्ग का प्रमुख

महानिदेशक संवर्ग के प्रमुख होंगे और आईसीएमआर के सर्वोत्तम हित में इस संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती के लिए जिम्मेदार होंगे।

10. सेवा के दायित्व

(क) इस संवर्ग में नियुक्त अधिकारी को भारत में या भारत से बाहर कहीं भी सेवा करनी होगी।

(ख) यदि किसी अधिकारी को भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या सरकारी निगम तथा औद्योगिक उपक्रम में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे वहां सेवा करनी होगी।

(ग) इस संवर्ग में नियुक्त व्यक्तियों को महानिदेशक द्वारा यथानुमोदित अनुसंधान, विकास या उत्पादन या ऐसे अन्य कार्य करने के संबंध में फील्ड में सेवा करनी होगी।

(घ) किसी कार्य के लिए चयनित अधिकारी, जिसमें सीमित फील्ड सेवा भी शामिल है, की ऐसी विशेष चिकित्सा जांच की जाएगी जो निर्धारित की गई हो। यह जांच चयन के समय या फील्ड सेवा में जाते समय, जो भी महानिदेशक द्वारा निर्णय लिया जाए, की जाएगी।

11. सेवानिवृत्ति लाभ

31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले इस ग्रेड में नियुक्त सभी वैज्ञानिकों पर समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 लागू होंगे। 1 जन

वरी, 2004 को या उसके बाद नियुक्त वैज्ञानिकों पर आवश्यक नई पेंशन योजना, अर्थात समय-समय पर यथासंशोधित 'नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी स्कीम' लागू होगी।

12. सेवा की अन्य शर्तें

(क) इन नियमों में स्पष्ट रुप से नहीं उल्लिखित मामलों के संबंध में इस संवर्ग के सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें आवश्यक संशोधन सहित और इस संवर्ग के संबंध में सरकार द्वारा जारी विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए वही होंगी, जो भारत सरकार के अधीन इसी प्रकार की वैज्ञानिक संस्थाओं या संगठनों में तदनुरुपी पद पर कार्यरत अधिकारियों (सिविलियन) पर लागू होती हैं।

(ख) इस संवर्ग के अधिकारियों पर आचरण तथा अनुशासन के मामले में समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 लागू होगी।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी, शास्ति लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी और ऐसे प्राधिकारयों द्वारा लगाई जाने वाली शास्तियों का प्रकार और अपीलीय प्राधिकारी इस प्रकार होंगेः

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति लगाने वाला प्राधिकारी	लगाई जाने वाली शास्ति	अपीलीय प्राधिकारी
(क) सभी समूह क पद, जिनका वेतनमान अधिकतम 16500/- रुपये तक हो।	महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	सभी	कार्यपालक समिति
(ख) ऐसे सभी पद, जिनका अधिकतम वेतनमान 16,500/- रुपये से अधिक हो	कार्यपालक समिति	कार्यपालक समिति	सभी	शासी निकाय

(घ) इस संवर्ग के सभी पदों को समूह क पदों के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सेवाओं के लिए चिकित्सा विनियम और चिकित्सा रिपोर्ट के रुप में चिकित्सा मानदंडों के प्रयोजन के लिए वैज्ञानिक/ तकनीकी पद समझा जाएगा।

(ड.) इस संवर्ग के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में या विदेश में ऐसे उच्च अध्ययन के लिए जाने के अनुरोध को, जिसे आईसीएमआर के हित में नहीं समझा जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(च) यदि इस संवर्ग का कोई वैज्ञानिक किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण या अध्ययन करने के लिए आवेदन-पत्र देता है, जिसे आईसीएमआर के हित में समझा जाता है और ऐसे अध्ययन य प्रशिक्षण से आईसीएमआर का कोई हित होता है तो भले ही वैज्ञानिक को प्रतिनियुक्ति पर न भेजा जाए, लेकिन वैज्ञानिक को समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अधीन रहते हुए अध्ययन छुट्टी दी जाएगी।

(छ) समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन स्वीकार्य सेवा के प्रत्येक वर्ष का लाभ इस सेवा के पात्र सदस्यों को दिया जाएगा।

13. अयोग्यता

कोई ऐसा व्यक्ति इस संवर्ग में नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हुआ हो या विवाह की संविदा की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हो; या

(ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए जो किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करे या विवाह की संविदा करे।

परंतु यदि सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या ऐसे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमत हो और ऐसे विवाह करने के अन्य कारण हों तो ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

14. ढील देने की शक्ति

यदि सरकार की राय हो कि किसी भी कारण से जिन्हें लिखित रुप से दर्ज किया जा सकता है, कोई ढील देना आवश्यक है, तो किसी भी श्रेणी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में ढील दी जा सकती है।

15. व्यावृति

इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों, जैसे ओबीसी के लिए इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षण, आयु-सीमा में रियायत और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो

16. निर्वचन

यदि इन नियमों के प्रावधानों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका पैदा होती है तो यह मामला अंतिम निर्णय के लिए महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा।

17. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन नियमों के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई पैदा होती है तो महानिदेशक इन नियमों के प्रावधानों के अनुरुप ऐसे प्रावधान कर सकता है या ऐसे आदेश जारी कर सकता है, जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों।

18. निरसन

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् अनुसंधान संवर्ग नियम, 1965 एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

अनुसूची 1 ए

(नियम 7 के उपनियम (ii) (सी) की धारा के तहत देखें)

वैज्ञानिक बी, सी, डी और ई की वार्षिक गोपनीय निष्पादन आंकलन रिपोर्टों की समीक्षा के लिए आंतरिक स्क्रीनिंग समिति का गठन

(1)	महानिदेशक द्वारा नामित परिषद का एक वैज्ञानिक जो कि वैज्ञानिक ' जी ' स्तर से कम न हो	---	अध्यक्ष
(2)	महानिदेशक द्वारा नामित परिषद मुख्यालय या केन्द्र का एक वैज्ञानिक जो कि वैज्ञानिक ' एफ ' के स्तर से कम न हो	---	सदस्य
(3)	एक बाहरी विशेषज्ञ (अन्य वैज्ञानिक संगठनों से उचित स्तर का एक सेवारत अथवा सेवानिवृत्त वैज्ञानिक) ।	---	सदस्य

टिप्पणी : अध्यक्ष के अतिरिक्त समिति के किसी सदस्य के अनुपस्थित होने पर आंतरिक स्क्रीनिंग समिति की कार्यवाही अमान्य नही होगी ।

<u>**अनुसूची 1 बी**</u>

(नियम 7 के उपनियम (ii) की धारा (सी) के तहत देंखे)

वैज्ञानिक 'एफ ' और 'जी' की वार्षिक गोपनीय निष्पादन आंकलन रिपोर्टों की समीक्षा के लिए आंतरिक स्क्रीनिंग समिति

वैज्ञानिक 'एफ' और 'जी'

1)	महानिदेशक	अध्यक्ष
2)	अपर महानिदेशक, आईसीएमआर	सदस्य
3)	एक बाहरी विशेषज्ञ (अन्य वैज्ञानिक संगठनों से उचित स्तर का एक सेवारत अथवा सेवानिवृत्त वैज्ञानिक)	सदस्य

टिप्पणी : अध्यक्ष के अतिरिक्त समिति के किसी सदस्य के अनुपस्थित होने पर आंतरिक स्क्रीनिंग समिति की कार्यवाही अमान्य नही होगी ।

अनुसूची 1 सी

(नियम 7 के उपनियम (ii) की धारा (सी) के तहत देंखे)

वैज्ञानिक 'एफ ' स्तर तक पदोन्नति के लिए वैज्ञानिकों की उपयुक्ता का मूल्यांकन करने के लिए मूल्याकंन मंडल

1.	अध्यक्ष या	महानिदेशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा
	सह–अध्यक्ष	महानिदेशक द्वारा अनुमोदित पैनल में से अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
2.	दो विभागीय सदस्य	महानिदेशक द्वारा नामित किया जाएगा
3.	दो बाहरी सदस्य	अध्यक्ष द्वारा अन्य वैज्ञानिक / शैक्षणिक संगठनों से नामित किया जाएगा।

टिप्पणी 1 : अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के अतिरिक्त किसी सदस्य के अनुपस्थित होने पर मूल्यांकन मंडल की कार्यवाहियां अमान्य नहीं होगी।

टिप्पणी 2 : वैज्ञानिक के उचित मूल्यांकन के लिए जब कभी भी आवश्यक समझा जाएगा , अध्यक्ष या सह अध्यक्ष एक से अधिक बाहरी सदस्य नामित कर सकते हैं।

अनुसूची 1 डी

(नियम 7 के उपनियम (iv) की धारा (सी) के तहत देंखे)

वैज्ञानिक ' एफ ' की अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु उपयुक्ता का मूल्यांक करने के लिए पीयर समिति ।

1.	महानिदेशक	अध्यक्ष
2.	अपर महानिदेशक , आईसीएमआर	सदस्य
3.	अन्य वैज्ञानिक संगठनों से सचिव / विशेष सचिव स्तर का अधिकारी	सदस्य
4.	अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक या प्रबंधन विशेषज्ञ	सदस्य

वैज्ञानिक 'जी' (18400-22400 रू0) की अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए पीयर समिति

1.	महानिदेशक	अध्यक्ष
2.	अपर महानिदेशक , आईसीएमआर	सदस्य
3.	अन्य वैज्ञानिक संगठनों से सचिव या समतुल्य स्तर का अधिकारी	सदस्य
4.	अन्य वैज्ञानिक संगठनों से वैज्ञानिक 'एच' या समतुल्य स्तर का अधिकारी	सदस्य

टिप्पणी : पीयर समिति के अध्यक्ष को छोडकर अन्य किसी सदस्य की अनुपस्थिति से पीयर समिति की कार्यवाहियाँ अमान्य नही होगी ।

टिप्पणी : अध्यक्ष, एक या अधिक बाहरी विशेषज्ञों को मंडल की सहायता के लिए एक सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकते है ।

अनुसूची 1 ई

(नियम 7 के उपनियम (vi) की धारा (ए) के तहत देखे)

परिषद के स्वास्थ्य अनुसंधान वैज्ञानिक संवर्ग में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए भर्ती मंडल

1) अध्यक्ष या सह अध्यक्ष — महानिदेशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा

2) दो बाहरी सदस्य (वैज्ञानिक संगठनों से उचित स्तर के सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी) — सदस्य

3) दो विभागीय वैज्ञानिक महानिदेशक द्वारा नामित किए जाएंगे — सदस्य

4) अनु. जाति / जन जाति उम्मीदवारों के लिए अनु. जाति / जनजाति के प्रतिनिधि — सदस्य

टिप्पणी : पीयर समिति के अध्यक्ष को छोडकर अन्य किसी सदस्य की अनुपस्थिति से पीयर समिति की कार्यवाहियाँ अमान्य नही होगी ।

टिप्पणी : अध्यक्ष, एक या अधिक बाहरी विशेषज्ञों को मंडल की सहायता के लिए एक सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकते है ।

अनुसूची II

(नियम 3 का उपनियम (ए) देंखे)

परिषद के स्वास्थ्य अनुसंधान वैज्ञानिक संवर्ग में शामिल वर्ग 'ए' ड्यूटी पदों की संख्या और वेतनमान

क्रं.सं.	*पद का पदनाम*	*वेतनमान*	*पदों की संख्या*
1	वैज्ञानिक 'बी'	8000-275-13500 रू0	380
2	वैज्ञानिक ' सी '	10000-325-15200 रू0	192
3	वैज्ञानिक ' डी '	12000-375-16500 रू0	77
4	वैज्ञानिक ' ई '	14300-400-18300 रू0	57
5	वैज्ञानिक ' एफ '	16400-450-20000 रू0	1
6	वैज्ञानिक ' जी '	18400-500-22400 रू0	25
7	अपर महानिदेशक	22400-525-24500 रू0	1
		कुल	733

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन)

(i) वैज्ञानिक 'जी' ग्रेड तक संवर्ग में एक ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति फ्लैकसीबल कम्प्लीमेंटिंग योजना के तहत की जाएगी ।

(ii) महानिदेशक को परिषद मुख्यालय तथा विभिन्न केन्द्रों में पद नियतन का अधिकार है ।

अनुसूची III

(नियम 7 के उपनियम (vi) धारा (बी) के तहत देखें)

क्रं.सं.	**पद का नाम**	**वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग या तकनीकी पदों के लिए अपेक्षित अर्हताएं**	आयु - सीमा
(1)	**(2)**	**(3)**	(4)
1.	**वैज्ञानिक 'बी' (8000-13,500 रू0)**	अनिवार्य : अपेक्षित विषय में एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्थान से जीवन / जैव विज्ञान या जैव विज्ञान से संबंधित विषयों में या सांख्यिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री । अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्थान से जीवन /जैव विज्ञान या जैव विज्ञान से संबंधित विषय या सांख्यिकी में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीएचडी की डिग्री ।	35 वर्ष से अधिक नही (छूट - इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट है ।

अनुसूची III

(कृपया नियम 7 के उप-नियम (vi) का खंड (ख) के नीचे देखें)

क्रम सं.	पद का नाम	ऐसे पदों के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक या इंजीनियरी या तकनीकी विषय	आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वैज्ञानिक 'बी' (रु.8000-13,500)	*अनिवार्यः* अपेक्षित विधा में एमबीबीएस डिग्री, जिसे एमसीआई द्वारा मान्यता हो या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइफ/ बायोलाजिकल साइंसेज या संगत बायोलाजिकल विषयों या सांख्यिकी में प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री या उसके समतुल्य डिग्री। अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीएच-डी डिग्री सहित लाइफ/ बायोलाजिकल साइंस या संगत बायोलाजिकल विधा/ विषय या सांख्यिकी में द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री। *वांछनीयः* (i) डिग्री या लाइफ/ बायोलाजिकल साइंसेज या सांख्यिकी में डाक्ट्रेट की डिग्री। या संगत डिग्री में प्रथम श्रेणी वाले उम्मीदवारों के लिए संबंधित विषय में की एम.डी. की डिग्री। (ii) संबंधित विधा में 3 वर्ष का अनुसंधान/ शिक्षण अनुभव। (iii) कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान।	अधिकतम 35 वर्ष (जिसमें इस संबंध में समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण वि भाग द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकती है)।

2.	वैज्ञानिक 'सी' (रु.10,000-15,200)	*अनिवार्यः* (i) अपेक्षित विधा में एमबीबीएस डिग्री, जिसे एमसीआई द्वारा मान्यता हो या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लाइफ/ बायोलाजिकल साइंसेज या संगत बायोलाजिकल विषयों या सांख्यिकी में प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री या उसके समतुल्य डिग्री। अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीएच-डी डिग्री सहित लाइफ/ बायोलाजिकल साइंस या संगत बायोलाजिकल विधा/विषय या सांख्यिकी में द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री। (ii) संगत क्षेत्र में 4 वर्ष का अनुसंधान का अनुभव। *वांछनीयः* (i) डिग्री या लाइफ/ बायोलाजिकल साइंसेज या सांख्यिकी में डाक्ट्रेट की डिग्री। या संगत डिग्री में प्रथम श्रेणी वाले उम्मीद वारों के लिए संबंधित विषय में की एम.डी. की डिग्री। (ii) इसके अलावा, डाक्टरल डिग्री के बाद संबंधित विषय में अनुसंधान/ शिक्षण का अनुभव। (iii) कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान।	अधिकतम 40 वर्ष (जिसमें इस संबंध में समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकती है)।

टिप्पणीः आईसीएमआर के संगत विषय में पीएच-डी या एमडी को 3 वर्ष के अनुभव के बराबर समझा जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	वैज्ञानिक 'डी' (रु.12,000-16,500)	*अनिवार्यः* (i) अपेक्षित विधा में एमबीबीएस डिग्री, जिसे एमसीआई द्वारा मान्यता हो या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लाइफ/ बायोलाजिकल साइंसेज या संगत बायोलाजिकल विषयों या सांख्यिकी में प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री या उसके समतुल्य डिग्री। अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीएच-डी डिग्री सहित लाइफ/ बायोलाजिकल साइंस या संगत बायोलाजिकल विधा/ विषय या सांख्यिकी में द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री। (ii) संगत क्षेत्र में 8 वर्ष के अनुसंधान का अनुभव। *वांछनीयः* (i) डिग्री या लाइफ/ बायोलाजिकल साइंसेज या सांख्यिकी में डाक्ट्रेट की डिग्री। या संगत डिग्री में प्रथम श्रेणी वाले उम्मीदवारों के लिए संबंधित विषय में की एम.डी. की डिग्री। (ii) इसके अलावा, डाक्टरल डिग्री के बाद संबंधित विषय में अनुसंधान/ शिक्षण का अनुभव। (iii) कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान।	अधिकतम 45 वर्ष (जिसमें इस संबंध में समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकती है)।

टिप्पणीः आईसीएमआर के संगत विषय में पीएच-डी या एमडी को 3 वर्ष के अनुभव के बराबर समझा जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	वैज्ञानिक 'ई' (रु.14,300-18,300)	*अनिवार्यः* (i) अपेक्षित विधा में एमबीबीएस डिग्री, जिसे एमसीआई द्वारा मान्यता हो या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लाइफ/ बायोलाजिकल साइंसेज या संगत बायोलाजिकल विषयों या सांख्यिकी में प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री या उसके समतुल्य डिग्री। अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीएच-डी डिग्री सहित लाइफ/ बायोलाजिकल साइंस या संगत बायोलाजिकल विधा/ विषय या सांख्यिकी में द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री। (ii) संगत क्षेत्र में 10 वर्ष के अनुसंधान का अनुभव। *वांछनीयः* (i) डिग्री या लाइफ/ बायोलाजिकल साइंसेज या सांख्यिकी में डाक्ट्रेट की डिग्री। या संगत डिग्री में प्रथम श्रेणी वाले उम्मीदवारों के लिए संबंधित विषय में की एम.डी. की डिग्री। (ii) इसके अलावा, डाक्टरल डिग्री के बाद संबंधित विषय में अनुसंधान/ शिक्षण का अनुभव। (iii) कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान।	50 वर्ष से कम आयु को प्राथमिकता (जिसमें इस संबंध में समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकती है)।

टिप्पणीः आईसीएमआर के संगत विषय में पीएच-डी या एमडी को 3 वर्ष के अनुभव के बराबर समझा जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	वैज्ञानिक 'एफ' (रु.16,400-20,000)	*अनिवार्यः* (i) अपेक्षित विधा में एमबीबीएस डिग्री, जिसे एमसीआई द्वारा मान्यता हो या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लाइफ/ बायोलाजिकल साइंसेज या संगत बायोलाजिकल विषयों या सांख्यिकी में प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री या उसके समतुल्य डिग्री। अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीएच-डी डिग्री सहित लाइफ/ बायोलाजिकल साइंस या संगत बायोलाजिकल विधा/विषय या सांख्यिकी में द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री। (ii) संगत क्षेत्र में 12 वर्ष के अनुसंधान का अनुभव। *वांछनीयः* (i) डिग्री या लाइफ/ बायोलाजिकल साइंसेज या सांख्यिकी में डाक्ट्रेट की डिग्री। या संगत डिग्री में प्रथम श्रेणी वाले उम्मीदवारों के लिए संबंधित विषय में की एम.डी. की डिग्री। (ii) इसके अलावा, डाक्टरल डिग्री के बाद संबंधित विषय में अनुसंधान/ शिक्षण का अनुभव। (iii) कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान।	50 वर्ष से कम आयु को प्राथमिकता (जिसमें इस संबंध में समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकती है)।

टिप्पणीः आईसीएमआर के संगत विषय में पीएच-डी या एमडी को 3 वर्ष के अनुभव के बराबर समझा जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	वैज्ञानिक 'जी' (रु.18,400–22,400)	*अनिवार्यः* (i) एमसीआई द्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सा विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लाइफ/ बायोलाजिकल साइंसेज या संगत बायोलाजिकल विषयों या सांख्यिकी में डाक्ट्रेट डिग्री। अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीएच-डी डिग्री सहित लाइफ/ बायोलाजिकल साइंस या संगत बायोलाजिकल विधा/विषय या सांख्यिकी में द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री। (ii) संगत क्षेत्र में 15 वर्ष के अनुसंधान का अनुभव। *वांछनीयः* (i) पीएच-डी के बाद संगत विषय में डाक्टरल अनुसंधान या शिक्षण का अनुभव। (ii) इसके अलावा, पीएच-डी के बाद संबंधित विषय में डाक्टरल अनुसंधान/ शिक्षण का अनुभव। (iii) कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान।	50 वर्ष से कम आयु को प्राथमिकता (जिसमें इस संबंध में समय-समय पर कार्मिक और प्र ाशिक्षण ि वभाग द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकती है)।

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	निदेशक (रु.18,400-22,400)	*अनिवार्यः* (i) एमसीआई द्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सा विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लाइफ/ बायोलाजिकल साइंसेज या संगत बायोलाजिकल विषयों या सांख्यिकी में डाक्ट्रेट डिग्री। अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीएच-डी डिग्री सहित लाइफ/ बायोलाजिकल साइंस या संगत बायोलाजिकल विधा/विषय या सांख्यिकी में द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री। (ii) संगत क्षेत्र में 15 वर्ष के अनुसंधान का अनुभव। *वांछनीयः* (i) पीएच-डी के बाद संगत विषय में डाक्टरल अनुसंधान या शिक्षण का अनुभव। (ii) इसके अलावा, पीएच-डी के बाद संबंधित विषय में डाक्टरल अनुसंधान/ शिक्षण का अनुभव। (iii) कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान।	50 वर्ष से कम आयु को प्राथमिकता (जिसमें इस संबंध में समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकती है)।

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	वैज्ञानिक 'एच' (रु.22,400-24,500)	*अनिवार्य:* (i) एमसीआई द्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सा विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लाइफ/ बायोलाजिकल साइंसेज या संगत बायोलाजिकल विषयों या सांख्यिकी में डाक्ट्रेट डिग्री। अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीएच-डी डिग्री सहित लाइफ/ बायोलाजिकल साइंस या संगत बायोलाजिकल विधा/विषय या सांख्यिकी में द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री। (ii) संगत क्षेत्र में 15 वर्ष के अनुसंधान का अनुभव। *वांछनीय:* (i) पीएच-डी के बाद संगत विषय में डाक्टरल अनुसंधान या शिक्षण का अनुभव। (ii) इसके अलावा, पीएच-डी के बाद संबंधित विषय में डाक्टरल अनुसंधान/ शिक्षण का अनुभ व। (iii) कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान।	70 वर्ष से कम आयु को प्राथमिकता (जिसमें इस संबंध में समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकती है)।

टिप्पणी 1: यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा बहुत योग्य हो तो महानिदेशक अपने विवेक से निर्धारित योग्यता में ढील दे सकते हैं। विशेष रुप से अनुभव के बारे में योग्यता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में महानिदेशक अपने विवेक से छूट दे सकते हैं, बशर्ते कि चयन की किसी अवस्था में अध्यक्ष की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी 2: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए नियत तारीख समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। लेकिन अनुभवी और योग्यताप्राप्त उम्मीदवारों के विशेष मामले में निर्धारित आयु-सीमा में ढील दी जा सकती है।

टिप्पणी 3: आईसीएमआर के संगत विषय में पीएच-डी या एमडी को 3 वर्ष के अनुभव के बराबर समझा जाएगा।

अनुसूची IV

चिकित्सा संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान और अन्य मान्यताप्राप्त प्रमुख चिकित्सा संस्थानों या विश्वविद्यालयों से सीधी भर्ती कोटे के अधीन विशिष्ट विधाओं में वार्षिक रुप से 5-10 प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रतिभा खोज योजना

आईसीएमआर की प्रतिभा खोज योजना के अधीन वैज्ञानिक 'बी' के चयन की शर्तें इस प्रकार होंगीः

(क) प्रतिभा खोजना योजना के अधीन कैम्पस चयन एम डी या पीएच-डी करने वाले उम्मीदवारों में से महानिदेशक द्वारा यथानिर्णीत चिकित्सा महाविद्यालयों और अन्य मान्यताप्राप्त प्रमुख संस्थानों या विश्वविद्यालयों से किया जाएगा।

(ख) विशिष्ट चिकित्सा विधा या पीएच-डी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के अंतिम वर्ष के छात्रों में से वैज्ञानिकों की कैम्पस भर्ती की जाएगी।

(ग) कैम्पस चयन के लिए पात्र उम्मीदवार उस वर्ष की पहली सितंबर को वैज्ञानिक 'बी' की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु-सीमा के अंतर्गत होंगे।

(घ) कैम्पस चयन की पात्रता अंतिम सेमेस्टर या उस वर्ष तक कम से कम प्रथम श्रेणी या उसके समतुल्य होगी, जिस वर्ष के संबंध में परिणाम घोषित कर दिया गया हो।

(ड.) यदि साक्षात्कार लिए जाने वाले छात्रों की संख्या को प्रतिबंधित करना हो तो पात्रता मापदंड को बढ़ाया जा सकता है।

(च) साक्षात्कार या लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा।

(छ) इस योजना के अधीन वैज्ञानिक 'बी' के रुप में उम्मीदवारों का चयन अनंतिम होगा। यह चयन इस शर्त पर होगा कि उम्मीदवार पहले प्रयास में ही प्रथम श्रेणी या समतुल्य श्रेणी में अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करें।

(ज) पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने पर उम्मीदवारों को नियम 7 के उप-नियम (vi) के खंड घ के अधीन वैज्ञानिक 'बी' के रुप में नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते कि वह सीधी भर्ती के लिए निर्धारित सभी अन्य अपेक्षाएं पूरा करे।